मेन्यूअल क. 1.

श्रम आयुक्त संगठन की जानकारी, कार्य प्रणाली तथा कर्त्तव्य

1.1. संविधान के श्रम संबंधी सुसंगत प्रावधान

भारत के संविधान के मौलिक अधिकार और ''राज्य की नीति के निदेशक तत्व'' संबंधी अध्यायों में वे सिद्धांत विहित हैं, जिन पर राज्य की श्रम नीति आधारित होगी। जिनमें से प्रमुख निम्न हैः–

- संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, जिसमें निर्बाध परंतु शांतिपूर्ण ढंग से सामूहिक सौदेबाजी (collective bargaining) की स्वतंत्रता शामिल है
- बलात् श्रम का और कारखानों, खदानों तथा जोखिम–युक्त नियोजनों में बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद – 23
- बाल श्रमिकों के खतरनाक श्रेणी के नियोजनों पर प्रतिबंध, के पर प्रतिबंध, अनुच्छेद – 24
- पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन, अनुच्छेद – 39
- काम की न्याय–संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता हेतु उपबंध, अनुच्छेद – 42
- सभी कामगारों के लिये निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन–स्तर, आदि सुनिश्चित किया जाना, अनुच्छेद – 43 और
- सभी कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति की तथा बच्चों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा, अनुच्छेद – 45
- उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की भागीदारी।

कानून बनाने की शक्तियॉं :– भारतीय संविधान की सातवी अनूसूची को तीन भागों में बांटा गया है जिससे केन्द्र,राज्य एवं समवर्ती सूची सम्मिलित है, जिससे श्रम संबंधी महत्तवपूर्ण विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। जिसमे केन्द्र तथा राज्य दोनो को श्रम संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। सुसंगत प्रविशिष्ठयों का उद्वहरण निम्नानुसार है :–

- व्यापार संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद
- सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी
- श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशायें, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व,
- कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं।
- समवर्ती सूची के उक्त विषयों पर कानून बनाने के लिये संसद और राज्य के विधान मंडल दोनो सक्षम है।

1.2. महत्वपूर्ण श्रम कानून

संविधान के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसरण में अनेक श्रम कानून बनाये गये हैं। इनमें से मध्य प्रदेश के लिये प्रासंगिक महत्वपूर्ण श्रम कानूनों की एक सूची निम्नानुसार है (इस सूची में उल्लिखित जिन कानूनों के नाम ''मध्य प्रदेश'' से आरंभ होते हैं, वे राज्य अधिनियम हैं, तथा शेष केंद्रीय अधिनियम हैं) :–

1. औद्योगिक संबंध विषयक कानून

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

2. मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960

3. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

4. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

5. मध्य प्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आज्ञाएं) अधिनियम, 1961

2. मजदूरी (पारिश्रमिक) संबंधी कानून

6. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

8. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

3. औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी सामान्य कानून

9. कारखाना अधिनियम, 1948

10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986–विशेषतः उसके अंतर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम :

    (क) परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989

    (ख) रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया) नियम, 1996

11. खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983

4. कतिपय विशिष्ट प्रकार के नियोजनों में कार्यदशाओं के विनियमन संबंधी कानून

12. मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958

13. बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966

14. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970

15. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

16. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996

17. भवन तथा अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

18. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979

19. विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976

20. श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955

5. महिला समानता एवं सशक्तिकरण संबंधी कानून

21. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961

22. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

6. श्रमिकों के कमजोर वर्गों से संबंधित कानून

23. बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976

24. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986

7. सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून

25. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

26. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

8. श्रम कल्याण निधियों संबंधी कानून

27. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976

9. विविध

28. श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988 उपर्युक्त में से कुछ अधिनियमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पूरी तरह केन्द्र सरकार की और कुछ की पूरी तरह राज्य सरकार की है, जबकि कतिपय अधिनियमों के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की भूमिका है।

1.3. श्रम आयुक्त संगठन की संरचना तथा सामान्य जानकारी :–

राज्य के श्रम विभाग का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के, शारीरिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना है। इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है ।

श्रमायुक्त संगठन प्रवर्तन एवं औद्योगिक संबंध के अमले के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा–शर्तो का नियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन, कार्यदशाएं समुचित रहती है तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक ाांति सीापित करता है। इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है जिससे आकस्मिक रू‍प से श्रमिक दुर्घटना के शिकार न हो, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।

श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत निम्नानुसार दो कार्यालय और तीन संविधिक मंडल कार्यरत हैंः–

श्रमायुक्त

संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा,

उपर्युक्त दोनों कार्यालय इंदौर में है।

संविधिक मंडल

1. **मध्य प्रदेश मक ल्याण मंडल, भोपाल**
2. **मध्य प्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर**
3. **मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल**

1.4. श्रमायुक्त संगठन

मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिए आवश्यक संख्या में उप/सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ''मुख्य सराधक'' भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इंदौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो शाखायें कार्यरत हैं :– एक शाखा श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करती है, तथा दूसरी शाखा औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संपादित करती है।

मुख्यालय में उक्त प्रथम शाखा के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, 4 उप श्रमायुक्त, 1 श्रम पदाधिकारी, एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं। वर्तमान में प्रदेश के 50 में से 50 जिलों में श्रम कार्यालय स्थापित हैं

1.5. ग्राम सभाओं को सौंपे गए कृत्य

ग्राम स्वराज प्रणाली के अंतर्गत ग्राम–स्तर पर श्रम विभाग से संबंधित कृत्य ग्राम सभा की ''ग्राम विकास समिति'' नामक स्थायी समिति को सौंपे गए हैं। ये कृत्य मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैंः–

1. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम,
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम,
4. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और
5. इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना

1.6. बैतूल जिले में स्थापनाओं की जानकारी

जिलें में कारखाना अधिनियम, मध्य प्रदेश दूकान एवं स्थापना अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, एवं बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों तथा उनमें कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों की जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की संख्या	श्रमिकों / कर्मचारियों की संख्या, जो अनुज्ञप्ति / पंजीयन प्रमाण–पत्र में उल्लिखित है	जानकारी की संदर्भ तिथि
1.	म. प्र. दूकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	7286	–	2971	31.03.04
2.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970	32	174	6444	31.07.11
3.	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961	119	–	953	31.08.11

मेन्यूअल क्र. 2

2.(अ) संगठन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व एवं शक्तियां

श्रमायुक्त संगठन के अधिकारियों व कर्मचारियों के दायित्वों व शक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

श्रेणी	*पद*	*दायित्वों का संक्षिप्त विवरण*	*प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का संक्षिप्त विवरण*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
		(अ) मुख्यालय में पदस्थ	
द्वितीय श्रेणी	**श्रम पदाधिकारी**	1. कार्यालय में पदस्थ अमे से स्थापना एवं लेखा का कार्य लेना ।	उपकरण व भण्डार क्रय करने की शक्ति (रूपये 2000/– प्रकरण में)
		2. आंवटित क्षेत्र में /जिलों मे औद्योगिक सबंध में का कार्य जिसमें औद्योगिक संबंध का कार्य जिसमें औद्योगिक शांति बनाये रखना ।	वसूली योग्य न होने वाले भण्डार तथा शासकीय धन की हानि का अपलेखन (रू. 1000/– प्रत्येक प्रकरण में)
		3. औद्योगिक अशांति की स्थिति में कानून व्यवस्था की स्थिति नजर एवं जिला प्रशासन में तालमेल	सामान्य भवष्यि निधि से सामान्य कारणो से अग्रिम/आंशिक अंतिम विकर्षण स्वीकृति करने के के अधिकारी (कार्यालय प्रमुख की हैसियत से) स्वयं के नियंत्रण के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर करन संबंधी अधिकार स्वयं के प्रभार के कार्यालय हेतु आहरण एवं संवितरण के अधिकार

		4. आंवटित क्षेत्र /जिलों में औद्योगिक विवाद एवं शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही ।	
		5. जिलें में प्रमुख श्रम अधिनियम के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कराना	
		अधिनियम का नाम	**कार्य**
		औद्यो. विवाद अधि. 1947	संराधन अधिकारी के रूप में विवाद का निराकरण एवं संदर्भित किया जाना
		म.प्र. औद्योगिक संबंध अधि.1960	संराधक के रूप में औद्योगिक विवाद का निराकरण
		म.प्र. औद्यो. नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधि. 1961	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		मजदूरी भुगतान अधि. 1936	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		न्यूनतम वेतन अधि. 1948	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		बेनस भुगतान अधिनियम, 1965	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958	सुलहनामा तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		बीडी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्ते) अधि. 1966	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	पंजीयन अधिकारी तथा अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में कार्य करना। निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	पंजीयन, नवीकरण तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979	पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते एवं प्रर्कीण उपबंध) अधिनियम, 1955	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधि. 1982 म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत निरीक्षक तथा म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंर्तगत उपकर निर्धारण प्राधिकारी के दायित्व।	निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य करना।
		6. जिलों में सभी श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन का कार्य	
		7. जिलों में श्रम कल्याण संबंधी योजना पर कार्यवाही	
		8. बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, महिला	

		मजदूर के संबंध में विशेष निर्देशित कार्यवाही	
		9. कार्यालय से संबधित समस्त पत्र व्यवहार	
		10. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में दावों का निराकरण	
		11. अपीलीय कार्य –बीडी एवं सिगार कामगार अधिनियम, 1966	
तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	श्रम निरीक्षक	1. आवंटित क्षेत्र में विभिन्न श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप निम्नानुसार कार्य करना।	
		अधिनियम का नाम	
		औद्यो. विवाद अधि. 1947	
		म.प्र. औद्योगिक संबंध अधि.1960	
		म.प्र. औद्यो. नियोजन (स्थाई आज्ञाएं) अधि. 1961	
		मजदूरी भुगतान अधि. 1936	
		न्यूनतम वेतन अधि. 1948	
		बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	
		म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधि. 1958	
		बीडी एवं सिगार कर्मकार (नियोजन एवं शर्ते) अधि. 1966	
		ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970	
		मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	
		अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन तथा विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979	
		श्रमजीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते एवं प्रर्कीण उपबंध) अधिनियम, 1955	
		समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	
		म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधि. 1982 म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम,1996 के अंतर्गत निरीक्षक तथा म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंर्तगत उपकर संग्राहक के दायित्व।	
		2. शिकायतों की जांच	
		3. औद्योगिक अशांति के लेबर इंजलेंसी के कार्य	
		4. श्रम पदाधिकारी द्वारा सोंपे गये अन्य कार्य	

	सहायक ग्रेड–2	1. स्थापना से संबधित संपूर्ण लेखा कार्य	
		2. देयक तैयार करना व केश, केशबुक लिखना	
		3. बजट आवंटन आदि सम्मिलित	
	सहायक ग्रेड–3	1. स्थापना से संबधित संपूर्ण लेखा	
		2. देयक तैयार व केश, केशबुक लिखना	
		3. बजट आवंटन आदि सम्मिलित	

कार्यालयीन संरचना :–

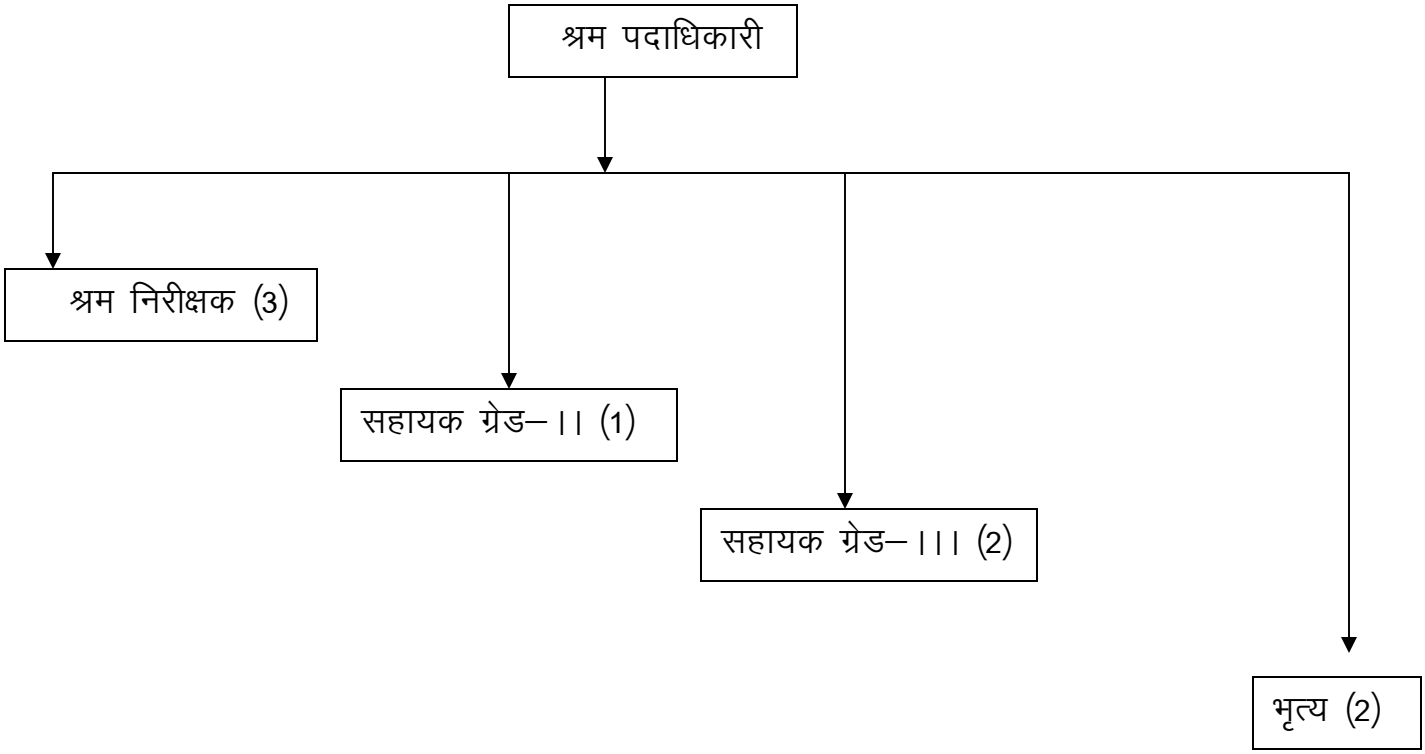

मेन्यूअल क्र. 3

निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की चरणवार जानकारी

श्रम आयुक्त संगठन में निर्णय, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में अधिकारियों के निम्नानुसार स्तर निर्धारित हैं:–

अ. मुख्यालय स्तर पर

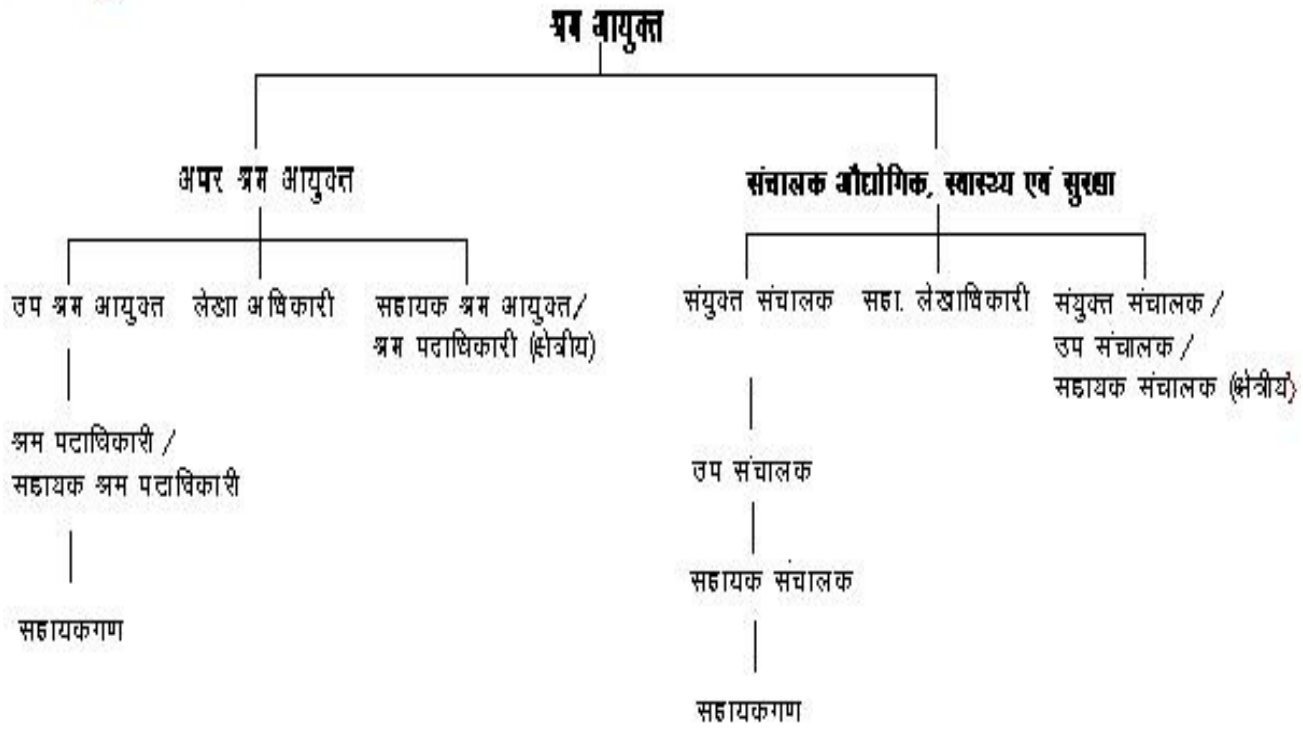

ब. क्षेत्रीय (फील्ड) स्पर पर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 48/8/सू.अ./सात/2005/30884–944, इंदौर दिनांक 11.08.2005 के आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (1) के प्रावधान के अंतर्गत श्रम आयुक्त संगठन के विभिन्न कार्यालयों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में निम्नानुसार अधिकारियों को पदाकिंत किया गया है।

क्रं.	कार्यालय का नाम	राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदांकित अधिकारी
1	***2***	***3***
1	कार्यालय श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर	उप श्रम आयुक्त (समन्वय), श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इन्दौर
2	कार्यालय संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुख्यालय, इन्दौर
3	क्षेत्रीय/संभाग/जिला (उप संभागीय) स्तरीय श्रम कार्यालय	कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ उप श्रम आयुक्त/ सहायक श्रम आयुक्त/श्रम पदाधिकारी /सहायक श्रम पदाधिकारी
3	क्षेत्रीय/संभाग/जिला स्तरीय औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय	कार्यालय प्रमुख के रूप में पदस्थ संयुक्त संचालक/ उप संचालक/सहायक संचालक

उपर्युकतानुसार पदांकित किए गए राज्य लोक सूचना अधिकारी की सहायता हेतु संबंधित मुख्यालय/क्षेत्रीय/संभाग/जिला (उप संभागीय) कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख के अधीन कार्यरत अन्य वरिष्ठतम अधिकारी, जो श्रम निरीक्षक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से निम्न न हो, को राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदांकित किया जाता है।

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के प्रावधानानुसार क्षेत्रीय/संभाग/जिला (उप संभागीय) कार्यालयों में पदांकित राज्य लोक सूचना अधिकारी के निर्णयों की विरूद्ध की गई अपील की सुनवाई उनसे श्रेणी में वरिष्ठ अधिकारी निम्नानुसार करेंगेः–

क्र.	राज्य लोक सूचना अधिकारी का पदनाम	अपील अधिकारी
1	***2***	***3***
1	श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी	सहायक श्रम आयुक्त (संभागीय)
2	सहायक श्रम आयुक्त (संभागीय)	उप श्रम आयुक्त,(समन्वय), मुख्यालय
3	उप श्रम आयुक्त,(समन्वय), मुख्यालय	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त
4	सहायक संचालक, औ.स्वा.एवं सुरक्षा	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (संभागीय)
5	उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (संभागीय)	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , मुख्यालय
6	संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , मुख्यालय	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , मुख्यालय
7	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा , मुख्यालय	अपर श्रम आयुक्त/श्रम आयुक्त

श्रम आयुक्त,
मध्यप्रदेश, इन्दौर

मेन्यूअल क्र. 4

कार्य सम्पादन हेतु मापदण्ड

4.1 श्रम कार्यालयों हेतु–

श्रमिकों के लिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन उचित ढंग से हो इस हेतु प्रत्येक श्रम निरीक्षको के लिए निम्नानुसार निरीक्षण प्रतिमाह किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:–

अ.क्रं.	अधिनियम का नाम	मासिक निरीक्षण संख्या
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	20
2	संविदा श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, बीड़ी एवं सिगार कामगार (नि.श.) अधिनियम 1966, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958	45
3	समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 तथा मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961	05
4	बाल श्रमिक (प्रतिषेध) अधिनियम 1986 तथा बंधक श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976	05

उपरोक्तानुसार कुल 75 निरीक्षण प्रतिमाह किया जाना अनिवार्य है।

1 कण्डिका क्रमांक–1 में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अन्य नियोजनों में निरीक्षण के साथ कृषि नियोजन का निरीक्षण भी सम्मिलित है। तात्पर्य यह है कि प्रतिमाह कृषि नियोजन में भी निरीक्षण संपादित किया जाए। यह सुनिश्चित की जाए कि अधिसूचित नियोजन के अन्तर्गत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन प्राप्त हो रहे हो।

2. उपरोक्त कंडिका क्रमांक–2 में संविदा श्रमिक अधिनियम, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक अधिनियम, म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम तथा मोटर यातायात अधिनियम के अन्तर्गत में मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं, उसमें संस्थान के उपलब्धता के आधार पर अनुपातिक रूप से निरीक्षण किये जा सकेंगे, परन्तु निरीक्षण करते समय श्रम निरीक्षक यह ध्यान रखे कि उक्त सभी अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण संपादित हो।

3. श्रम निरीक्षकों के लिए निर्धारित निरीक्षण में से 10 प्रतिशत पर्यवेक्षीय निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये जायेंगे। अर्थात् सहायक श्रमायुक्त तथा श्रम पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र में उक्त पर्यवेक्षीय निरीक्षण संपादित करेंगे। इसके अतिरिक्त उप श्रमायुक्तों को आवंटित अपने जोन में किसी भी कार्यालय के श्रम निरीक्षकों द्वारा किये गये निरीक्षणों पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षीय निरीक्षण कर सकेंगे। अपर श्रमायुक्त तथा श्रमायुक्त, प्रदेश के किसी भी कार्यालय के कार्य क्षेत्र में पर्यवेक्षीय निरीक्षण कर सकेंगे।

4.. कार्यालय द्वारा किये जा रहे निरीक्षण की मासिक समीक्षा संभागीय स्तर पर श्रमायुक्त, अपर श्रमायुक्त तथा उप श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी। ऐसी समीक्षा झोनल स्तर पर उप श्रमायुक्त तथा प्रदेश के किसी भी संभाग की समीक्षा श्रमायुक्त अथवा अपर श्रमायुक्त द्वारा की जायेगी। शासन स्तर पर त्रैमासिक समीक्षा की कार्यवाही की जायेगी।

5. प्रदेश में विभिन्न शासकीय विभागों में ठेकेदारी प्रथा पर श्रमिकों से कार्य संपादित कराये जा रहे हैं प्रायः देखा गया है कि उन कार्यों में कार्यरत् ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधान का लाभ नहीं मिल पाता है। इस हेतु श्रम कार्यालय, यह सुनिश्चित करे कि ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों को जो मजदूरी का भुगतान किया जाता है वह उचित हो और मजदूरी के भुगतान को विभाग के शासकीय अधिकारी जैसे सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में हो तथा वहॉ मजदूरी भुगतान को अभिप्रमाणित करे। इससे श्रमिकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

6. संविदा श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे ठेकेदार जो बिना लाइसेंस लिये ठेकेदारी प्रथा पर श्रमिक नियोजित किये गये हैं तथा ऐसे ठेकेदार जो ठेका श्रमिकों की कम संख्या दर्शा कर बिना लाइसेंस प्राप्त किये श्रमिक नियोजित किये गये हैं उनके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार अन्तरर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों के कार्यदशा के नियमन एवं कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए इस अधिनियम के अन्तर्गत यथा आवश्यक निरीक्षण संपादित की जाए। इन श्रमिकों का पंजीयन/नियमन उचित ढंग से होने की स्थिति में बंधक श्रम की समस्या से मुक्ति मिल सकती हैं।

7. श्रम निरीक्षक, उल्लेखित सभी श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षण करते समय उपस्थित श्रमिकों के अभिकथन, जिसमें उन्हें प्रदत्त हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, हाजिरी रजिस्टर में नाम की स्थिति, न्यूनतम वेतन, बोनस, अवकाश तथा अन्य सुविधाओं के लाभ की स्थिति अंकित करेंगे।

8. ईट–भट्टों में कार्यरत श्रमिकों को, स्टोनक्रेशर/पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों, ठेका श्रमिकों तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, इसके संघन जॉच के निर्देश दिये गये हैं। अतः एक विशेष अभियान चलाया जाकर 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य इन क्षेत्रों में कार्यरत् सभी संस्थानों का संघन निरीक्षण किये जायेंगे।

9. श्रमिकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत विभाग को बीड़ी श्रमिकों तथा भवन निर्माण श्रमिकों के परिचय पत्र तथा बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना के क्रियान्वयन के मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं।

वर्तमान में भवन निर्माण श्रमिकों के 20011 परिचय पत्र जारी किए जा चुके हैं।

मेन्यूअल क्र. 5

श्रम आयुक्त संगठन के कार्य सम्पादन हेतु जारी नियम, विनियम, निर्देश एवं संधारित अभिलेख

श्रम विभाग की प्राथमिकताओं के अन्तर्गत एवं वर्ष 2005–06 में निरीक्षण संबंधी दिशा–निर्देश–दिनांक 8.7.2005

श्रमायुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के निर्देशानुसार श्रम पदाधिकारी एवं श्रम निरीक्षकों के द्वारा विभिन्न अधिनियमों के प्रर्वतन का कार्य संपादित किया जाता है। :–

5.1 मध्यप्रदेश औद्योगिक श्रम अधिनियम 1961 एवं औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947 इन अधिनियमों का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाये रखना तथा विवादों की जॉच करके रोकथाम तथा निबटारे की व्यवस्था करना है।

संराधन प्रकिया की व्यवस्था औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत विवादो की रोकथाम के लिये की गई है। ताकि उद्योग में शांति बनी रहे तथा उत्पादन कार्य निरंतर होता रहे । इस प्रकिया के संचालन हेतु सक्षम सरकार द्वारा श्रमायुक्त के अधीन संराधन मिलने पर दोनो पक्षो को चर्चा हेतु आव्हान्वित करता है। यह प्रयास करता है कि विचार व्यवस्था से समस्या का निराकरण हो जावे । समझौते पर दोनो पक्षो की सहमति के रूप में उनके हस्ताक्षर करता है। समझौता न होने की स्थिति में वह असफल की रिपोर्ट उपयुक्त सरकार को भेज देता है । सामान्य तौर पर संराधन की कार्यवाही 14 दिन के भीतर पूरी की जानी चाहिए । किन्तु आवश्यकतानुसार इस अवधि में परिवर्तन किया जा सकता है । अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये है । तदानुसार वर्ष 2005–06 के लिये निरीक्षण के निम्न दिशा – निर्देश जारी किये गये हैः– असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम कानूनो का प्रवर्तन उचित ढंग से हो इस हेतु प्रत्येक श्रम निरीक्षकों के लिये निम्नानुसार निरीक्षण प्रतिमाह किये जाने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

मैन्यूल क्रं.4.1 मे दर्शित किया गया है।

उपरोक्तनुसार कार्यवाही श्रम निरीक्षक करेंगे।

मेन्यूअल क्र. 6

संधारित अभिलेखों की श्रेणी वार जानकारी

6.1 स्थापना/प्रशासन संबंधी संधारित अभिलेख–

(01) पदों की जानकारी, पदों का वितरण

(02) अवकाश

(03) वेतन निर्धारण

(04) शिकायतें, विभागीय जांच एवं अदालती प्रकरण

(05) सर्विस रूल्स एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र

(06) सर्विस रिकार्ड, गोपनीय चरित्रावली

(07) आवाक, जावक, स्टाम्प अभिलेख

(08) टेलीफोन, फैक्स आदि

(09) स्टेशनरी, फार्म्स्, अन्य सामग्री

(10) गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल आदि।

6.2. लेखा

(01) बजट एस्टीमेट, आवंटन एवं रि–एप्रोप्रिएशन

(02) वित्तीय,कोष एवं मूलभूत नियम

(03) आय–व्यय लेखा

(04) क्रय

(05) टी.ए.बिल्स

(06) वेतन देयक

(07) कंटीन्जेंसी व्यय

(08) चिकित्सा देयक

(09) विधिक देयक

(10) स्थायी अग्रिम, लोन, आंशिक अंतिम विकर्षण, वसूली

(11) बीमा एवं भविष्य निधि

(12) मासिक प्रतिवेदन

(13) आयकर एवं व्यावसायकर

(14) बैंक खातें

(15) गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल।

6.3 औद्योगिक संबंध

(01) मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम,म.प्र.औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम एवं नियमों का क्रियान्वयन

(02) स्थानीय क्षेत्रों का निर्धारण

(03) औद्योगिक विवादों का निराकरण एवं संदर्भ

(04) मध्यस्थता संबंधी विषय

(05) अभियोजन

(06) मासिक प्रतिवेदन

(07) शिकायतें

(08) गार्ड फाईल एवं मास्टर फाईल्स।

6.4 वेतन

(01) उपदान भुगतान अधिनियम का प्रवर्तन एवं दावों/अपीलों की सुनवाई

(02) वेतन संबंधी अधिनियमों एवं नियमों की व्याख्या

(03) बंधक श्रम पद्धति (समाप्ति)अधिनियम का प्रभावशीलन तथा सांख्यकीय संकलन

(04) बंधक श्रम सर्तकता समितियों का गठन एवं बैठकें

(05) बंधक श्रमिकों की पहचान एवं विमुक्ति तथा पुनर्वास

6.5 प्रवर्तन

(01) मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(02) संविदा श्रम अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(03) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(04) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(05) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(06) बोनस भुगतान अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(07) न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(08) शिकायतें

(09) अभियोजन एवं न्यायालयीन प्रकरण

(10) प्रतिवेदन एवं प्र–विवरण

(11) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

(12) निरीक्षणों का पर्यवेक्षण

(13) गार्ड फाईलें एवं मास्टर फाईलें।

6.6 महिला एवं बाल श्रम

(01) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(02) समान पारिश्रमिक अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(03) मातृत्व हितलाभ अधिनियम का प्रवर्तन एवं सांख्यकीय संकलन

(04) निरीक्षणों का पर्यवेक्षण

मेन्यूअल क्र. 7

विभागीय नीति एवं प्रशासन के निर्धारण हेतु सामान्यजन के प्रतिनिधित्व एवं सलाह संबंधी व्यवस्थाएं

श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत विभागीय नीति एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं के निर्धारण हेतु निम्नानुसार परिषद/समितियां कार्यरत है जिनमें विभागीय नीति एवं प्रशासन के निर्धारण हेतु सामान्यजन के प्रतिनिधित्व एवं सलाह संबंधी व्यवस्थाएं हैं :–

उक्त जानकारी मुख्यालय स्तर की है अतः बैतूल श्रम पदाधिकारी कार्यालय से जानकारी निरंक समझी जावें ।

मेन्यूअल क्र. 8

दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परिषदें, समितियां, मण्डल तथा अन्य सलाहकार संगठनों की जानकारी

श्रम आयुक्त संगठन के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों की परिषदें, समितियां,मण्डल तथा अन्य सलाहकार संगठनों के गठन की जानकारी संलग्न परिशिष्ट 8.1 से 8.7 तक दी गई है। इनकी बैठक में जनसामान्य की उपस्थिति की अनुमति नहीं है, यद्यपि इन बैठकों का कार्यवाही विवरण जनसामान्य हेतु कार्यालय में उपलब्ध होता है।

मेन्यूअल क्र. 9

श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल की अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पते एवं पदस्थिति दिनांक, निवास का पता दूरभाष नंबर निम्नानुसार है।

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	पदस्थ दिनांक	पता	दूरभाष
1	2	3	4	5	6
1	श्री पी.एस.कदम	श्रम पदाधिकारी	24.06.2010	**कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल , ईटारसी रोड सदर बैतूल**	07141–238384
2	श्री जी.एस.महदेलें	श्रम निरीक्षक	01.07.2010		
3	श्री आर.बी.पटेल	श्रम निरीक्षक	01.07.2010		
4	श्री ए.के.वर्मा	श्रम निरीक्षक	28.06.2010		
5	श्री डी.डी.बेलवंशी	सहा.गेड–तीन	12.05.1987		
6	श्री एस.आर.वाघमारे	सहा.ग्रेड.–तीन	26.03.1990		
7	श्रीमति फुलमा बाई आहके	चौकीदार	14.02.2002		
8	श्रीमति हर्षदा पाटिल	भृत्य	05.07.2006		

मेन्यूअल क्र. 10

श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद,वेतनमान एवं वर्तमान में प्राप्त कुल वेतन निम्नानुसार हैः–

क्रं.	अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मूल वेतन	प्राप्त कुल वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री पी.एस.कदम	श्रम पदाधिकारी	PB-3 Rs 15600-39100+5400	30403.00
2	श्री जी.एस.महदेलें	श्रम निरीक्षक	PB-2 Rs 9300-34800+3600	24923.00
3	श्री आर.बी.पटेल	श्रम निरीक्षक	PB-1 Rs 5200-20200+2800	22583.00
4	श्री ए.के.वर्मा	श्रम निरीक्षक	PB-2 Rs 9300-34800+3600	25444.00
5	श्री डी.डी.बेलवंशी	सहा.गेड–तीन	PB-1 Rs 5200-20200+2800	18254.00
6	श्री एस.आर.वाघमारे	सहा.ग्रेड.–तीन	PB-1 Rs 5200-20200+2400	13685.00
7	श्रीमति फुलमा बाई आहके	चौकीदार	1S Rs 4440-7440+1300	10132.00
8	श्रीमति हर्षदा पाटिल	भृत्य	1S Rs 4440-7440+1300	8776.00

मेन्यूअल क्र. 11

श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल कार्यालय हेतु वर्ष 2011–2012 का बजट आंवटन तथा व्यय की जानकारी

क्रं.	श्रेणी	मद	वर्ष 2011–12 हेतु बजट आंवटन	माह जुलाई 2011 तक व्यय स्थिति	31 जुलाई 2011 तक शेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	वेतन	11–001	863700	494852	368848
2	मंहगाई भत्ता	11–003	300000	197787	102213
3	गृह भाडा	11–006	17000	7155	9845
4	अन्य	11–008	2000	1250	750
5	चिकित्सा प्रतिभूति भत्ता	11–009	1000	0	1000
6	त्यौहार अग्रिम	11–011	4000	0	4000
7	अनाज अग्रिम	11–016	4000	0	4000
8	ग्रेड – पे	11–028	150000	89200	60800
9	यात्रा भत्ता	21–001	1000	0	1000
10	डाक टेलीफोन	22–001	2000	0	2000
11	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	22–002	7200	4186	3014
12	बिजली एवं जल प्रभार	22–005	5000	2932	2068
13	वर्दी	22–006	0	0	0
14	स्टेशनरी	22–007	2000	1240	760
15	अन्य कंटीजेंसी	22–008	0	0	0
16	भवन किराया	22–011	20295	0	20295
17	सामग्री एवं प्रतिपूर्ति	22–003	0	0	0

मेन्यूअल क्र. 12

विभागीय अनुदान योजनाओं के अंतर्गत आवंटित राशि, योजना का कियान्वयन तथा हितग्राहियों का विवरण

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा निम्न हितग्राहीमूलक अनुदान योजनाएं संचालित की जाती हैं:–

12.1 इन्दिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना

असंगठित क्षेत्र के ऐसे कृषि श्रमिक जो कृषि नियोजन में श्रमिक के रूप में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे और उनके पास एक एकड़ अथवा उससे भी कम भूमि थी उनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रावधान नहीं था। उक्त बिन्दु को ध्यान में रखकर 15 अगस्त, 1982 से इंदिरा कृषि श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये आरंभ की गई। उक्त योजना के प्रचार–प्रसार हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3/18/अन्वे./ पांच/2005/ 25087–182 दिनांक 07.07.2005 के द्वारा समस्त कलेक्टर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र. को अवगत किया गया है।

उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कृषि जैसे असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों को दुर्घटना अथवा अंग भंग की स्थिति में उन्हें अथवा उनके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाना है। ऐसे कृषि श्रमिक जो किसी अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु अथवा दो अंग भंग होने पर उन्हें अथवा उनके उत्तराधिकारी को रूपये 15,000/– की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है तथा एक अंग भंग होने पर रूपये 3,000/–क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदाय किये जाते है। फरवरी, 2002 के पूर्व क्षतिपूर्ति की उक्त राशि क्रमशः रूपये 10,000/– एवं रूपये 2,000/– ही प्रदाय की जाती थी।

12.2 बंधक श्रम पुनर्वास

संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुसरण में बंधक श्रम पद्धति को समान्प करने के लिये वर्ष 1976 से बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 लागू है। बंधक श्रम पद्धति से आशय ऐसा बलात् श्रम या अंशतः बलात् श्रम लेने की पद्धति से है जो साधारणतः स्वयं या उसके पूर्वजों को दिये गये ऋण की वसूली के रूप में या रूढ़िगत अथवा सामाजिक बाध्यता के अनुसरण में लिया जाता है। बंधक श्रम प्रथा का विषय जुलाई 1999 तक राज्य शासन के राजस्व विभाग को आबंटित था। राज्य शासन के कार्य आबंटन नियमों में 1.8.99 से हुए संशोधन द्वारा यह विषय विभाग को आबंटित किया गया । इस संशोधन के पालन में यह कार्य वास्तव में फरवरी,2000 में श्रम विभाग को हस्तांतरित हुआ। उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के अनुसार बंधक श्रम प्रथा के अस्तित्व के बारे में छानबीन, बंधक श्रमिकों की पहचान, मुक्ति एवं कल्याण की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को सौपी गई है। अधिनियम की धारा 21 के तहत राज्य शासन ने समस्त जिला एवं उपखण्डीय मजिस्ट्रेटों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत घटित अपराधों की विचारणा (ट्रायल) के लिये न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, की शक्तियों से वेष्ठित किया है। इस अधिनियम की धारा 13 में जिला एवं उपखंड स्तर पर निगरानी समितियॉ गठित करने का प्रावधान है। अब तक मध्यप्रदेश में 48 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा 47 जिलों में उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति का गठन हो चुका है।

शासन द्वारा 5 जिलों (नामतः शिवपुरी, विदिशा, रायसेन, छतरपुर एवं पन्ना) को बंधक श्रम प्रथा की दृष्टि से अतिसंवेदनशील मानते हुए इन जिलों में डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान (बानी) महू जिला इंदौर के माध्यम से सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन करवाया जा रहा है।

विमुक्त कराए गए बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु एक केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रचलित है, जिसके तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में रूपये 20,000/–का भुगतान, जिसमें रूपये 1000/– की राशि का जीवन निर्वाह के लिये तात्कालिक भुगतान अपेक्षित है, किया जाता है। रूपये 20,000/–की राशि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाबर अनुपात में वहन की जाती है। –

मेन्यूअल क्र. 13

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा जारी अनुमति,प्राधिकार एवं छूट बाबद् जानकारी

श्रम आयुक्त संगठन द्वारा जारी अनुमति, प्राधिकार एवं छूट बाबद् जानकारी निम्नवत हैः–

13.1 श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल जानकारी निरंक।

13.2 संविदा श्रम अधिनियम, 1970 के अंतर्गत जारी अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन :– श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल में ठेका श्रम अधिनियम के अंतर्गत 32 प्रमुख नियोजक पंजीकृत है एवं अनज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारो की संख्या 174 जिनमें 6444 श्रमिक नियोजित है।

13.3 म.प्र.दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत बैतूल जिलें में 5 नगरों में उक्त अधिनियम लागू है । जिसके तहत जारी दूकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन की स्थिति निम्नानुसार है :–

कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल के अंतर्गत 7286 संस्थान पंजीकृत होकर 2971 श्रमिक नियोजित है।

13.4 कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल के द्वारा मोटर याता याता श्रमिक अधिनियम 1961 के अंतर्गत जारी पंजीयन निम्नानुसार है।

कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल के अंतर्गत 102 संस्थान पंजीकृत होकर 883 श्रमिक नियोजित है।

मेन्यूअल क्र. 14

सामान्य जन हेतु उपलब्ध जानकारी एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभागीय जानकारी

14.1 इलेक्ट्रॉनिक रूप में विभागीय वेबसाइट **www.mp.gov.in/labour** पर उपलब्धहै।

मेन्यूअल क्र. 15

नागरिकों हेतु उपलब्ध विभागीय जानकारी

15.1 सूचना के अधिकार के अंतर्गत तथा सिटिजन चार्टर के अंतर्गत श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल की जानकारी का विवरण :– (अ) जन सामान्य को निर्धारित शुल्क पर उपलब्ध करायी जाने वाली जानकारी जनसामान्य द्वारा निम्नवत् जानकारी मांगी जाने पर उन्हे सशुल्क कराई जायें ।

1. अर्द्ध न्यायिक प्रकिया जैसी ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम अंतर्गत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा निर्णित विवाद , म.प्र.दुकान स्थापना अधिनियम की धारा 58 के अंतर्गत अपील के निर्णय, बीडी सिगार कामगार (नियोजन शर्ते) अधिनियम 1966 की धारा 31 के अंतर्गत अपीलो के निर्णय, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत दायर दावों के निर्णय
2. औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एवं ओ में रखी पंजी में दर्ज अनुबंध एवं समझौते।
3. जिला अथवा संभाग में विभिन्न श्रम अधिनियमों में सम्पादित निरीक्षणों की संख्या अभियोजनों की संख्या अधिनियम वार तथा संकलित रूप में जैसे भी स्थिति हो ।

(ब) केवल पक्षकारो को निर्धारित शुल्क पर करायी जाने वाली जानकारी । केवल पक्षकार निम्नवत् जानकारी का शुल्क प्राप्त कर सकेंगे।

1. म.प्र.औद्योगिक विवाद अधिनियम 1960 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत निर्धारित तारीखों को सम्पन्न बैठकों कीी प्रोसेडिंग की प्रति।
2. विभिन्न अर्द्व न्यायिक प्रकरणो में सुनवाई की तारीखो पर संपादित सुनवाई संबंधी प्रोसेडिंग की प्रति ।

नोट :–

1. प्रतियां प्रति पृष्ट 2/– रूपये शुल्क जमा करने पर प्रदान की जावेंगी ।
2. निर्धारित समय–सीमा 30 दिवस में अभिलेख प्रदाय नही किये जाने पर आवेदक सहायक श्रमायुक्त भोपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगा ।

श्रम विभाग

सिटीजन चार्टर (नागरिकों का अधिकार लेख)

श्रम पदाधिकारी बैतूल

क.	उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा	समय सीमा	जिम्मेदार अधिकारी	निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही न होने पर किसे शिकायत की जा सकती है।
1	2	3	4	5
1	ठेका श्रमिक अधिनियम के अंन्तर्गत प्रतिबंधित ठेका श्रम पद्धति की पुस्तिका	15 दिवस	श्रम पदाधिकारी (प्रवर्तन)	अपर श्रमायुक्त
2	अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों, बोनस, .अधिनियम के अंन्तर्गत जानकारी ग्राम पंचायतों को श्रम विभाग से प्रदाय तथा प्रत्येक जिले में अनुज्ञप्ति प्राप्त ठेकेदारों की सूची का जिला पंचायत एवं जिला कलेक्टरों का प्रदाय		तदैव	जिला कलेक्टर/अपर कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी
3	संविदा श्रमिक अधिनियम,1970, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, बीडी सिगार कामगार अधिनियम के अंन्तर्गत दिशा निर्देशों कामुदण/ आवेदन पत्र के साथ इसका प्रदाय	1 माह	तदैव	तदैव
4	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत सेवा पृथकीकरण के प्रकरण संराधन कार्यवाही में हस्तगत करने के पश्चात निराकरण हेतु	14 दिवस	श्रम पदाधिकारी, (औ.स.)	तदैव
5	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत अन्य समझौता प्रकरणों में प्रारंभिक जांच	1 माह	तदैव	तदैव
6	औद्योगिक विवाद अधिनियम1947 के अंन्तर्गत समझौता कार्यवाही	3 माह	तदैव	तदैव
7	म.प्र.औद्योगिक संबंध के अंन्तर्गत समझौता कार्यवाही	1 माह तथा 3माह	तदैव	तदैव

मेन्यूअल क्र. 16

श्रम पदाधिकारी कार्यालय बैतूल हेतु नियुक्ति जन सूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम एवं अन्य विशिष्टियॉ

16.1 कृपया लोक प्राधिकरण में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों , सहायक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के संबंध में निम्न प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करें ।

लोक प्राधिकरण का नाम :

सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री जी.एस. महदेले**	श्रम निरीक्षक	07141	238384		lobetul@gmail.com	कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल

लोक सूचना अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री पी.एस. कदम**	श्रम पदाधिकारी	07141	238384		lobetul@gmail.com	कार्यालय श्रम पदाधिकारी बैतूल

विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्रं.	नाम	पदनाम	एस.टी.डी.	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल	पता
1	**श्री जी.सी. नाग**	सहा. श्रमायुक्त	0755	2744977		alcbhopalmp@gmail.com	पुराना सचिवालय भोपाल

श्रम पदाधिकारी
बैतूल